पत्रांक – वि०प्रा०(IV) भूमि–03/2020–
बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं0 हक) बिहार,
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

/पटना, दिनांक–

विषय – सात निश्चय कार्यक्रम के तहत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत स्थापित एवं संचालित राजकीय पोलिटेकनिक, बक्सर के परिसर में सेप्टिक टैंक का निर्माण , पार्किंग शेड का निर्माण, परिसर के चारों ओर सड़क का निर्माण एवं विभिन्न भवनों के मरम्मति के साथ रंग–रोगन कार्य हेतु कुल रू० 1,05,58,500.00 (एक करोड़ पाँच लाख अठावन हजार पॉच सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने अभियंता प्रमुख –सह– अपर आयुक्त –सह– विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–7422(भ)अनु०, दिनांक–18.09.2024 के माध्यम से उपलब्ध कराये गए अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, आरा द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर दिनांक–16.01.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में राजकीय पोलिटेकनिक, बक्सर के परिसर में सेप्टिक टैंक का निर्माण , पार्किंग शेड का निर्माण, परिसर के चारों ओर सड़क का निर्माण एवं विभिन्न भवनों के मरम्मति के साथ रंग–रोगन कार्य हेतु कुल रू० 1,05,58,500.00 (एक करोड़ पॉच लाख अठावन हजार पॉच सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृति राशि का व्यय, माँग सं०– 03 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्यशीर्ष–80–सामान्य, लघुशीर्ष–051 –निर्माण, उपशीर्ष–0117–इंजिनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थानों के लिए भवने (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग) के अधीन 53 01– मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से किया जाएगा, जिसका विपत्र कोड 03–4059800510117 है।

3. स्वीकृत राशि का आवंटन, सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बक्सर को प्रदान किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध निर्गत आवंटन के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत/विनिर्दिष्ट कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बक्सर होंगे।

5. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध निर्गत आवंटन की सीमा तक राशि की निकासी नियमानुसार जिला कोषागार, बक्सर से की जायेगी।

6. विमुक्ति हेतु स्वीकृत राशि की निकासी, विभाग के लिए संसूचित योजना उदव्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

7. तकनीकी अनुमोदन के अनुरूप अक्षरशः कार्य कराने की संयुक्त जिम्मेदारी संस्थान के प्राचार्य एवं संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी

8. राशि की निकासी एवं व्यय बिहार वित्तीय (संशोधन) नियमावली, 2024 के अनुसार एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत विभिन्न परिपत्रों एवं अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। इसके साथ–साथ राशि के व्यय में वित्तीय प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

9. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888, दिनांक–03.12.2024 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–वि०प्रा० (IV)भूमि–03/2020 के पृ.– 52/टि० पर प्राप्त है।

10. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(अहमद महमुद)
अपर सचिव

ज्ञापांक – वि०प्रा० (IV)भूमि–03/2020 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
अपर सचिव

ज्ञापांक – वि०प्रा० (IV)भूमि–03/2020 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – सचिव /अभियंता प्रमुख –सह– अपर आयुक्त –सह– विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
अपर सचिव

ज्ञापांक – वि०प्रा० (IV)भूमि–03/2020 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – जिला पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
अपर सचिव

ज्ञापांक – वि०प्रा० (IV)भूमि–03/2020 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – जिला कोषागार पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
अपर सचिव

ज्ञापांक – वि०प्रा० (IV)भूमि–03/2020 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि –अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, आरा/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बक्सर/प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
अपर सचिव

ज्ञापांक – वि०प्रा० (IV)भूमि–03/2020 869 **/पटना, दिनांक–** 21.02.25

प्रतिलिपि – माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी (M)/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/आई.टी. मैनेजर, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव